राज॰स्वा॰वि॰वि॰ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

सेक्टर–11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर –302033

दूरभाष : 0141–2795624, 634, ई–मेल – principalruhscms@gmail.com

क्रमांक : RUHS CMS/ Store/2017-18/3369 Dated – 27-06-2017

ई–निविदा सूचना

विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में सफाई कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा

Project	विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में सफाई कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा
Mode of Bid Submission	Online through e-Procurement/ e-Tendering system at http://eproc.rajasthan.gov.in
Tendering Authority/ Purchaser	Principal, RUHS College of Medical Sciences, Sector – 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur - 302033
Cost of Tender Document (non-refundable)	Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only)
RISL processing fee (non-refundable)	Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only)
Total Estimated Cost	Rs. 18,00,000.00 (Rupees Eighteen Lacs Only)
Earnest Money Deposit (EMD)	2% of estimated cost (Rs 36,000.00)
Bid Download Start Date/ Time	03-07-2017 at 5.00 PM onwards
Pre-Bid Meeting Date/Time	10-07-2017 at 11.00 AM onwards
Bid submission Start Date/Time	15-07-2017 at 5.00 PM onwards
Bid submission End Date/ Time	01-08-2017 at 2.00 pm
Submission of Demand Draft for Tender Fee, EMD, and Processing Fee	01-08-2017 up to 02.00 pm
Technical Bid Opening Date/ Time	01-08-2017 at 03.00 pm
Financial Bid Opening Date/ Time	Will be intimated later to the Technically qualified bidders
Websites for downloading Tender Document, Corrigendum's, Addendums etc.	http://eproc.rajasthan.gov.in,www.sppp.raj.nic.in, www.ruhscms.org
* In case, any of the bidders fails to physically submit the Demand Draft for Tender Fee, EMD, and RISL processing fee up to 2.00 pm on 01-08-2017, its Bid shall not be accepted. For RISL processing fees Demand Draft should be drawn in favour of "Managing Director RajCOMP Info Services Ltd" payable at Jaipur and for Tender Fee & EMD should be drawn in favour "Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur " payable at Jaipur from any Scheduled Commercial Bank.	

1. A Pre-bid meeting will be held as per above schedule i.e. on dated 10-07-2017 at 11.00 A.M. in the conference hall of RUHS CMS, Jaipur to clarify and answer the queries on any matter related to this bid. It is made clear that any representation / complaint/ suggestions by bidder/ prospective bidder with regard to technical specifications or conditions of bid document shall be dealt with only when such representations are given during pre-bid meeting or upto 05-00 pm of same day of Pre-bid meeting. Representations/suggestions/complaint received after this time frame shall not be entertained and shall summarily be rejected.
2. If any amendment/ clarification is carried out in the technical specifications and bid terms & condition following pre-bid meeting or any other information, the same will also be uploaded on the RUHS CMS website http://ruhscms.org and http://eproc.rajasthan.gov.in,www.sppp.raj.nic.in and will not be published in any news papers. It will not be intimated to individual bidder.
3. The bid should be submitted through e-portal, after pre-bid meeting, including all the clarifications/ modifications/ amendments agreed & issued by RUHS CMS. The bid shall only be submitted through e-procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in of Govt. of Rajasthan. Bids shall not be accepted in physical form in any condition.
4. The bidding process shall be subject to the provisions of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act and Rules made there under.

Principal

Date:

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

निविदा–फॉर्म

1. **विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय– परिसर में सफाई कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा**
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली वाली फर्म का नाम व : ....
   डाक का पता ....
   ....
   ....
   ....
   मोबाइल नं. (1).. (2)..............................
3. किसको सम्बोधित की गई : प्रधानाचार्य, राज॰स्वा॰वि॰वि॰ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर–11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर–302033
4. संदर्भ : क्र॰ :RUHS CMS/Store/2017-18/3369 , Date 27-06-2017
5. निविदा शुल्क की राशि रू. 1000/– डी.डी. संख्या ....दिनांक............ के द्वारा जमा कर दी गई है।
6. हम .... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. ऊपर उद्धत की गयी दरें एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारम्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष तक बढाया भी जा सकेगा।
8. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .... जो ....(बैंक का नाम) आहरित किया गया है/ .... /दिनांक .... रू0 .... संलग्न है।
9. इसके साथ नियमानुसार टैक्स पंजीयन एवं टैक्स चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत है। (यदि लागू हो तो)
10. सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कॉलेज प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को प्रदत्त करता हूं/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

"विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर में सफाई कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा"

निविदा की विशिष्ट शर्ते

1. महाविद्यालय परिसर में सफाई कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदादाताओं से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत की अंतिम तिथि 01.08.2017 को अपराह्न 02.00 बजे तक निर्धारित की गई है। उक्त समयावधि के पश्चात् ई–पोर्टल की वेबसाईट पर ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने हेतु लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। ऑनलाईन प्राप्त निविदायें दिनांक 01.08.2017 को ही मध्यान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख ऑनलाईन खोली जायेगी।
2. निविदा हेतु निर्धारित बोली प्रतिभूति (ईएमडी) राशि रू0 36,000/–, निविदा शुल्क राशि रू॰ 1000/– एवं RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रू॰ 500/– निर्धारित की गई है। बोली प्रतिभूति/अमानत राशि एवं निविदा शुल्क Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट एवं RISL प्रोसेसिंग फीस "Managing Director RajCOMP Info Services Ltd" payable at Jaipur के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार्य हैं जो कि दिनांक 01.08.2017 को अपराह्न 02.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। यदि किसी निविदादाता फर्म द्वारा उक्त समयावधि तक निर्धारित शुल्कों के डिमाण्ड ड्राफ्ट केन्द्रीय भण्डार शाखा कार्यालय में जमा नहीं कराये जाते हैं तो उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में सफाई कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु केवल ऑनलाईन निविदाएँ ही स्वीकार की जावेंगी। निविदा प्रपत्र महाविद्यालय की वेबसाईट www.ruhscms.org, ई–निविदा पोर्टल की वेबसाईट http.//eproc.rajasthan.gov.in एवं एस.पी.पी.पी. की वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in से download किया जा सकता है।
4. ऑनलाईन निविदाएं 'दो कवर प्रणाली द्वारा' आमंत्रित की जा रही हैं। इस हेतु निविदादाता फर्म द्वारा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। निविदा खोलने वाला प्राधिकारी निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर निविदाकार की क्षमता का मूल्यांकन करेगा और इस आधार पर योग्य निविदाकारों की सूची तैयार करेगा। 'वित्तीय निविदा' केवल उन्हीं निविदाकारों की ऑनलाईन खोली जावेगी जो निविदा निष्पादित करने योग्य पाये जायेगें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु प्री–बिड बैठक का आयोजन दिनांक 10.07.2017 को प्रातः 11.00 किया जावेगा।
6. निविदादाता को किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में सफाई कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा। उक्त प्रमाण के अभाव में निविदा पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
7. अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि एक वर्ष के लिए होगी, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनो पक्षों की सहमति से इसे एक वर्ष तक बढाया जा सकता है।
8. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ अंशदायी भविष्यनिधि के पंजीकरण/सदस्यता की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

9. सफल निविदादाता को रू0 1000/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा तथा अनुमानित लागत रू० 18,00,000.00 की 5 प्रतिशत सुरक्षा (Security) राशि रूपये 90,000/— जमा करानी होगी।

10. विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भवन एकेडमिक ब्लॉक एवं प्रशासनिक ब्लॉक में निम्न सफाई कार्य करने होंगे —

    1. महाविद्यालय भवन एकेडमिक ब्लॉक एवं प्रशासनिक ब्लॉक के सभी तलों पर स्थित विभागों के कमरों, बरामदों, सीढ़ियों, गार्डन, पार्किंग स्थान, रिसर्च लैब, कमरों में रखे फर्नीचर, खिड़की—दरवाजे, प्रयोगशाला उपकरणों की साफ—सफाई, एवं शौचालयों मूत्रालयों वाशबेसिनों एवं बाहरी परिसर आदि की सफाई एवं धुलाई साबुन के घोल, फिनाईल एवं एसिड आदि से नियमित रूप से प्रतिदिन करनी होगी। सभी शौचालयों, मूत्रालयों में फिनाईल/ऑडोनिल गोलियों हर समय प्रतिदिन उपलब्ध करनी होगी।
    2. सफाई कार्य हेतु महाविद्यालय के दोनों भवनों (कुल 10 तल) जिनमें केन्द्रीय पुस्तकालय, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकैमेस्ट्री, कम्यूनिटी मेडिसन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फोरेन्सिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, लैक्चर थियेटर्स एवं महाविद्यालय के अन्य कार्यालय स्थित हैं प्रत्येक तल पर दो सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति महाविद्यालय के पूर्ण कार्य समय में अनिवार्य से की जावेगी। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की दीवार के बाहर स्थित फुटपाथ की साफ—सफाई भी नियमित रूप से की जावेगी।
    3. महाविद्यालय के एनाटोमी विभाग में विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार कैडेवर को टैंक से निकालने एवं वापस टैंक में रखने का कार्य करना होगा।
    4. प्रतिदिन दैनिक रूप से विभागाध्यक्ष से संतोषप्रद कार्य की टिप्पणी लेना अनिवार्य होगा एवं प्रतिमाह बिल के साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से कार्य सन्तुष्टि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उक्त रिपोर्ट के अभाव में भुगतान हेतु बिल स्वीकार्य नहीं होगा।

11. नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई नहीं करने या उचित किस्म तथा पर्याप्त मात्रा में सफाई सामग्री का उपयोग नहीं करने पर उस कार्य की राशि की कटौती की जावेगी तथा इसके अतिरिक्त रूपये 500/— प्रतिदिवस शास्ति लगाई जावेगी जो कि ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान में से काटी जावेगी।

12. सफाई कर्मचारियों की निर्धारित संख्या से कम संख्या में कर्मचारी उपस्थित होने की स्थिति में प्रति कार्मिक प्रति दिवस राशि रू० 250/— की शास्ति लगाई जावेगी जो कि ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान में से काटी जावेगी।

13. निविदादाता को सफाई कार्य हेतु सफाई सामग्री में मुख्यतः फिनाईल, फिलाईल/ऑडोनिल की गोलियां, क्वालिटी का वाशिंग पाउडर, साबुन के पानी का घोल, एसिड, मिटट्ी का तेल, ऑडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर एवं सुगन्धित सामग्री आदि का उपयोग अपने स्वंय के खर्चे पर करना होगा जिसका अलग से कोई भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जावेगा।

14. सफाई से एकत्रित कचरे को महाविद्यालय के निकटतम कचरा डिपो पर पहुंचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। निर्धारित स्थान पर कचरा नहीं पहुंचाने पर रूपये 500/— प्रतिदिन की शास्ति लगाई जावेगी जों ठेकेदार को दिये जाने वाले भुगतान से काटी जावेगी।

15. सभी कमरों/दरवाजों/खिडकियों, रोशनदानों, पोर्च के शीशों/जालियों, लाईब्रेरी कोयर मैटिंग, एकेडमिक भवन के चौक में लगाई गई कृत्रिम घास आदि की सप्ताह में एक बार कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर से नियमित रूप सफाई करनी होगी तथा छतों के जाले हटाने होंगे। इस कार्य

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

को नहीं करने पर रूपये 200/– प्रतिदिन की शास्ति लगाई जावेगी जो कि ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान से काटी जावेगी।

16. सभी कमरों/बरामदों की दीवारों व सीढियों के कोनों पर से दाग आदि नियमित रूप से साफ करने होगे। ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि सीढियों अथवा अन्य स्थानों पर कोई गंदगी न रहे। यदि इस शर्त की पालना नहीं की गई तो रूपये 100/– प्रतिदिन की शास्ति लगाई जावेगी।

17. निविदादाता को अपने कर्मचारियों को वर्दी जिस पर फर्म का नाम अंकित हो ड्यूटी के दौरान पर पहनानी होगी तथा उनके फोटो सहित पहचान पत्र उपलब्ध कराने होगे। ड्यूटी के दौरान वर्दी पहन कर नही आने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर नहीं लिया जावेगा। यदि फिर भी कोई कर्मचारी बिना वर्दी के कार्य करता हुआ पाया गया तो रूपये 150/– प्रत्येक कर्मचारी प्रतिदिन शास्ति वसूल की जावेगी।

18. यदि निविदादाता द्वारा बीच में कार्य छोड़ दिया जाता हैं या कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जाता हैं, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये किसी अन्य संस्था/फर्म या ठेकेदार से दरें प्राप्त कर उन्हें ठेका दिये जाने हेतु प्रधानाचार्य को पूर्ण अधिकार होगा।

19. निविदादाता को राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 एवं अन्य श्रम सम्बन्धी कानूनों की पूर्ण पालना करनी होगी। तद्नुसार प्रावधायी निधि में राशि जमा कराने एवं वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार के होंगे। श्रमिकों को राजस्थान राज–पत्र दिनांक 06. 11.1999 में प्रकाशित श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.11.1999 में वर्णित एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होगा तथा श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत व्यक्ति के समक्ष अथवा श्रमिक के खाते में करना होगा। इस महाविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिल पर ठेकेदार सभी श्रमिकों को गत माह का न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर दिया गया हैं, सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अंकित करना होगा। साथ ही पी.एफ एवं ई.एस.आई. आदि में जमा की गई राशि का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, तभी अगले माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।

20. श्रम सम्बन्धी कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना सूचना दिये ठेका समाप्त किया जा सकता हैं।

21. निविदादाता द्वारा नियोजित किये गये श्रमिकों द्वारा 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात किसी श्रमिक को हटाये जाने कार्यमुक्त करने की स्थिति में औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार नोटिस या नोटिस वेतन तथा छंटनी मुआवजा देने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

22. कोई निविदादाता किसी भी कार्य दिवस को महाविद्यालय परिसर में कार्य क्षेत्र का निरीक्षण अपनी निविदा देने से पूर्व करना चाहे तो वह ऐसा निरीक्षण कर सकेगा।

23. सफल निविदादाता की सेवायें संतोषजनक नही पाये जाने अथवा निविदा एवं संविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये किसी भी समय संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

24. निविदा के किसी भाग/अंश/शर्त आदि में परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

25. निविदादाता का पी.एफ. व ई.एस.आई. का पंजीयन संबंधित विभागों में होना आवश्यक हैं तथा श्रमिकों की पी.एफ. व ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का कानूनी एवं वित्तीय दायित्व स्वंय निविदादाता का होगा, महाविद्यालय द्वारा इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।

26. टी.डी.एस., सरचार्ज तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले अन्य करों सम्बन्ध में स्त्रोत पर नियमानुसार कटौती की जायेगी, जिसका निर्धारित प्रमाण पत्र सेवाप्रदाता को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

27. किसी भी विवाद में प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होगा।

28. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।

29. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत् कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये मानदेय इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

30. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में चिकित्सालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

31. निविदादाता द्वारा किसी भी कर्मकार से प्रति दिन 08 घण्टे की अवधि से अधिक सेवाएं नहीं ली जावेगी। ठेकेदार द्वारा जॉब बैसिस कार्य हेतु लगाये गये कर्मकारों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व ठेकेदार की होगी। इसके लिये सरकार व चिकित्सालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

32. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की सभी शर्तें यथावत लागू होंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1.	निविदादाता का नाम एवं पता :–	
2.	निविदादाता का स्वरूप : व्यक्तिगत / साझेदारी / कम्पनी	
3.	श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन संख्या	
4.	ईपीएफ (राजस्थान राज्य का)	
5.	ईएसआई (राजस्थान राज्य का)	
6.	सर्विस टैक्स	
7.	पैन नम्बर	
8.	निविदादाता का रजिस्ट्रेशन वर्ष एवं नं.	
9.	निविदादाता के मुख्यालय एवं शाखाओं का स्थान व पता,	
10.	निविदादाता कार्यालय में उपलब्ध संचार व्यवस्था का विवरण (टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल, इन्टरनेट)	
11.	निविदादाता के पंजीकरण / अनुभव की स्थितीः– 1. किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में सफाई कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव : अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जावें। 2. अंशदायी भविष्यनिधि के पंजीकरण / सदस्यता की स्थिति : अंशदायी भविष्यनिधि के पंजीकरण / सदस्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।	
12.	जमा बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि का विवरण	
13.	टेण्डर फीस का विवरण	
14.	टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (नियमानुसार)	

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम : ....

....

2. निविदादातां का पता : ....

....

....

....

3. दूरभाष : (1) ....

(2) ....

4. निविदा में उल्लेखित शर्तो को ध्यानपूर्वक पढें तथा उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय ब्रिकी कर, राजस्थान ब्रिकी कर/सेवा कर (यदि कोई हो) को पृथकतः दर्शाया जावे।

विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में सफाई कार्य के वार्षिक दर अनुबन्ध हेतु निविदा

क.स.	कार्य का नाम	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रतिमाह	
		अंको में	शब्दों में
1.	विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – परिसर की निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों की पालना करते हुए सफाई कार्य का वार्षिक अनुबन्ध		
2.	कर (नियमानुसार)		

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित